भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1395

उत्तर देने की तारीख- 13/02/2025

जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

1395 श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:

डॉ. नामदेव किरसान:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जनजातियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान जनजातियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए जिलावार कितनी निधि जारी की गई और खर्च की गई हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में जनजातियों के लिए स्कूल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र में जिलावार ऐसे कितने स्कूल स्थापित किए जाएंगे;

(ड.) आंध्र प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना विकास परियोजनाओं की स्थिति क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उक्त राज्यों में जनजातियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके):

(क) से (ख): जनजातीय कार्य मंत्रालय महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सहित देश में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को जारी की गई निधि का विवरण **अनुलग्नक - II** में दिया गया है।

(ग) से (घ) : सरकार ने 440 ईएमआरएस स्थापित करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) (2018-19) की केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की, 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (जनगणना 2011 के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस होगा। अनुच्छेद 275(1) (2018 से पहले) के तहत स्वीकृत 288 स्कूलों के साथ, मंत्रालय ने देश भर में कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य

रखा है। मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य में कुल 39 ईएमआरएस स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 37 ईएमआरएस कार्यात्मक होने की सूचना है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 7 ईएमआरएस कार्यात्मक हैं। महाराष्ट्र में ईएमआरएस की सूची अनुलग्नक III में दी गई है।

(ङ.): आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थिति **अनुलग्नक - IV** में दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा गतिविधियों में अंतरों को पाटने के लिए भी निधियां प्रदान की जाती हैं।

जनजातीय कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश ने सूचित किया है कि राज्य सरकार ने नाबार्ड अनुदान, ईआई अनुदान के तहत कार्य शुरू किए हैं। नाबार्ड अनुदान और ईआई अनुदान के तहत क्रमशः 14 कार्य (4-भवन, 10-सड़कें) और 646 कार्य (47-भवन, 568-सड़कें, 31-पेयजल सुविधा) शुरू किए गए हैं।

(च): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी दो एजेंसियों अर्थात् भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से जनजातीय समुदायों के बीच उद्यमशीलता सहित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मंत्रालय ट्राइफेड के माध्यम से 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य जनजातीय उद्यमिता पहलों को मजबूत करना और प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग, कृषि/लघु वनोपज (एमएफपी)/गैर-कृषि उपज के अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधन को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाना है। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को 15.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिन्हें एमएफपी/गैर-एमएफपी के मूल्य संवर्धन गतिविधियों के केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है, पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आय सृजन गतिविधियों/स्वरोजगार के लिए रियायती ऋण प्रदान करके ऋण लिंकेज प्रदान करता है, जिससे उनमें उद्यमशीलता की भावना पैदा होती है। एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएं हैं सावधि ऋण योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई), स्वयं सहायता समूहों के लिए माइक्रो क्रेडिट स्कीम (एमसीएफ) और आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई)।

इसके अलावा, महाराष्ट्र के जनजातीय कल्याण विभाग ने सूचित किया है कि जनजातियों को रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम लागू कर रही है, जैसे कि जनजातीय युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, विशेष पैकेज योजना के तहत अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन, विभिन्न प्रकार के मुर्गी पक्षियों का वितरण, प्रारंभिक धन (सीड मनी) के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों को ऋण आदि।

आंध्र प्रदेश के जनजातीय कल्याण विभाग ने सूचित किया है कि 2024-25 के लिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने जनजातियों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। तदनुसार, विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए 146.93 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है- आर्थिक सहायता योजनाएँ, जनजातीय आजीविका (व्यक्तिगत और संगठन) के लिए विशेष परियोजनाएँ, कॉफ़ी विकास परियोजना, वाईएसआर विद्योनाथी, संगठनों को सब्सिडी।

अनुलग्नक I

“जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं” के संबंध में श्री पी.वी.मिधुन रेड्डी तथा डॉ. नामदेव किरसान द्वारा दिनांक 13.02.2025 को पूछे जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1395 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक I

देश में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण:

(i) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरूआत की। यह अभियान प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) का अधिक संरचित एवं विस्तारित संस्करण है। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे के अंतरों को पाटना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना और 5 वर्षों में 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय आबादी को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करना है। अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: ₹56,333 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹22,823 करोड़) है।

ii. **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन):** सरकार ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया है, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग 24,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाले इस मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में समयबद्ध तरीके से सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार सम्पर्क, गैर-विद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को संतृप्त करना है।

iii. **प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम):** जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसे जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए दो मौजूदा योजनाओं अर्थात, ''न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास'' और ''जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता'' के विलय के माध्यम से डिजाइन किया गया है।

इस योजना में चयनित एमएफपी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण और घोषणा की परिकल्पना की गई है। किसी विशेष एमएफपी मद के मौजूदा बाजार मूल्य के निर्धारित एमएसपी से नीचे गिरने की स्थिति में पूर्व-निर्धारित एमएसपी पर खरीद और विपणन कार्य नामित राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ अन्य माध्यम और दीर्घकालिक मुद्दों जैसे कि सतत् संग्रह, मूल्य संवर्धन (वर्धन), बुनियादी ढांचे का विकास, एमएफपी के ज्ञान आधार का विस्तार और बाजार आसूचना विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा।

(iv) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस): जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की शुरुआत की गई थी। नई योजना के तहत, सरकार ने 440 ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया, 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (जनगणना 2011 के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस होगा। शुरू में संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान के अंतर्गत 288 ईएमआरएस स्कूलों को वित्तपोषित किया गया था, जिन्हें नए मॉडल के अनुसार उन्नत (अपग्रेड) किया जा रहा है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अजजा छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

(v) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान: संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान (परंतुक) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने और जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति आबादी वाले राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है। यह एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है और राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में अवसंरचना गतिविधियों में अंतर को पाटने के लिए अनुसूचित जनजाति आबादी की महसूस की गई ज़रूरतों के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं।

vi. **अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता:** अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत, मंत्रालय आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, सचल औषधालय, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों, आजीविका आदि को कवर करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।

vii. **अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** यह योजना उन छात्रों के लिए लागू है जो कक्षा IX-X में पढ़ रहे हैं। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिवा छात्रों के लिए 225/- रुपये प्रति माह और छात्रावास में रहने वालों के लिए 525/- रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से संवितरित की जाती है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जहां यह 90:10 है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधानसभा वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सा है।

viii. **अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षिक संस्थानों द्वारा लिये जाने वाले अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन की जाती है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 230 रुपये से 1200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। यह योजना राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों हिमाचल प्रदेश,

उत्तराखंड तथा जम्मू और कश्मीर जहां यह 90:10 है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधानसभा वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सा है।

(ix) अजजा उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्तियाँ: इस योजना में चयनित छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल की पढ़ाई करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हर साल कुल 20 छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। इनमें से 17 छात्रवृत्तियाँ अजजा के लिए और 3 छात्रवृत्तियाँ विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित छात्रों के लिए हैं। सभी स्रोतों से माता-पिता/परिवार की आय प्रति वर्ष 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(x) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चत्तर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति:

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति- (उच्च श्रेणी) योजना [स्नातक स्तर]: इस योजना का उद्देश्य मेधावी अजजा छात्रों को मंत्रालय द्वारा चिन्हित देश भर के 265 उत्कृष्ट संस्थानों जैसे आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनआईआईटी आदि में से किसी में निर्धारित पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सभी स्रोतों से परिवार की आय प्रति वर्ष 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति राशि में ट्यूशन शुल्क, रहने का खर्च और किताबों तथा कंप्यूटर के लिए भत्ते शामिल हैं।

(ख) अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति: भारत में एमफिल और पीएचडी का उच्च अध्ययन करने के लिए अजजा छात्रों को हर साल 750 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति यूजीसी मानदंडों के अनुसार दी जाती है।

(xi) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता: मंत्रालय इस योजना के माध्यम से जहां पहले से टीआरआई मौजूद नहीं हैं, वहां नए टीआरआई स्थापित करने और मौजूदा टीआरआई के कामकाज को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है ताकि अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, समृद्ध जनजातीय विरासत को बढ़ावा देने आदि की दिशा में टीआरआई द्वारा अपने मुख्य उत्तरदायित्व को पूरा किया जा सके। जनजातीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, कला एवं कलाकृतियों के रखरखाव और संरक्षण, जनजातीय संग्रहालय की स्थापना, राज्य के अन्य भागों में जनजातियों के लिए आदान-प्रदान दौरे, जनजातीय त्योहारों के आयोजन आदि के माध्यम से देश भर में जनजातीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने तथा बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाने के लिए टीआरआई को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शीर्ष समिति के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार टीआरआई को 100% अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

अनुलग्नक II

“जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं” के संबंध में श्री पी.वी.मिधुन रेड्डी तथा डॉ. नामदेव किरसान द्वारा दिनांक 13.02.2025 को पूछे जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1395 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक II

मैट्रिकोत्तर के लिए जारी निधि और उपयोग - (लाख रूपयें में)							
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24	
		जारी निधि	उपयोग की गई	जारी निधि	उपयोग की गई	जारी निधि	उपयोग की गई
1	आंध्र प्रदेश	8991.45	8991.45	13356.50	13356.50	11471.08	11471.08
2	महाराष्ट्र	19214.82	19214.82	9026.85	9026.85	57035.80	57035.85

मैट्रिक-पूर्व के लिए जारी निधि और उपयोग - (लाख रूपयें में)							
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24	
		जारी निधि	उपयोग की गई	जारी निधि	उपयोग की गई	जारी निधि	उपयोग की गई
1	आंध्र प्रदेश	3935.06	3935.06	0.00	0.00	5700.16	5700.16

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, पीएम-जनमन के अंतर्गत निधियों की स्वीकृति, मंत्रालय-वार (14.01.2025 तक)*

(करोड़ रूपयें में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमएवाई-जी)	ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमजी एसवाई)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनआरएचएम)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (पोषण 2.0)	शिक्षा मंत्रालय (एसएसए)	विद्युत मंत्रालय (आरडीएसएस)	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	संचार मंत्रालय (डीओटी-यूएसओएफ)	जनजातीय कार्य मंत्रालय	
										एमपीसी	वीडीवीके
1	आंध्र प्रदेश	44.33	280.53	40.31	43.44	18.85	88.71	8.38	94.5	14.97	3.105
2	महाराष्ट्र	100.54	0.00	26.42	26.4	35.75	26.61	0	8.1	12.47	1.812

*संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार

2021-22 से 2024-25 के दौरान पीएमएएजीवाई के अंतर्गत राज्य-वार जारी निधियों और प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र का विवरण (21.01.2024 तक)

(लाख रूपयें में)

क्र.सं.	राज्य	आज तक कुल रिलीज (2021-22 से 2024-25)
1	महाराष्ट्र	13485.5

अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता योजना के तहत जारी की गई निधि

(रूपये में)

क्र.सं.	राज्य	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	1,83,01,307	92,19,195
2	महाराष्ट्र	13,58,80,516	10,47,52,678

31.12.2024 तक राज्यों को पीएमजेवीएम वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की मंजूरी का विवरण

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत वीडीवीके की कुल संख्या	स्वीकृत निधि (लाख रूपए में)
1	आंध्र प्रदेश	415	6,162.90
2	महाराष्ट्र	265	3975

31.12.2024 तक 'एमएफपी के लिए एमएसपी' योजना के अंतर्गत 2013-14 से 2022-23 की अवधि के दौरान मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी अवसंरचना निधियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	राज्य को जारी कुल निधियां

		(लाख रूपए में)
1	आंध्र प्रदेश	325.00
2	महाराष्ट्र	709.50

पिछले पांच वर्षों में (2023-24 तक) एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत वितरित ऋणों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वितरित ऋण (करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	171.06
2	महाराष्ट्र	45.96

अनुलग्नक III

"जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं" के संबंध में श्री पी.वी.मिधुन रेड्डी तथा डॉ. नामदेव किरसान द्वारा दिनांक 13.02.2025 को पूछे जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1395 के भाग (ग) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक III

महाराष्ट्र राज्य में ईएमआरएस

क्र.सं.	**जिला**	**ईएमआरएस की संख्या**
1	अहमदनगर	1
2	अमरावती	2
3	चन्द्रपुर	1
4	धुले	2
5	गढ़चिरोली	7
6	गोदिया	1
7	नागपुर	1
8	नांदेड़	1
9	नंदुरबार	6
10	नासिक	8
11	पालघर	7
12	थाने	1
13	यवतमाल	1

अनुलग्नक - IV

"जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं" के संबंध में श्री पी.वी.मिथुन रेड्डी तथा डॉ. नामदेव किरसान द्वारा दिनांक 13.02.2025 को पूछे जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1395 के भाग (ङ.) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक - IV

आंध्र प्रदेश में पीएम-जनमन की प्रगति-14/01/2025 तक लाइन मंत्रालय द्वारा स्वीकृतियों का विवरण

ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमएवाई-जी)	स्वीकृत मकान (सं.)	32850
	पूर्ण हो चुके मकान (सं.)	60
	केंद्रीय हिस्से की वित्तीय निर्मुक्ति (करोड़ रुपए में)	44.33
ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमजीएसवाई)	स्वीकृत सड़कें (किमी)	612.718
	पूर्ण सड़कें (किमी)	0
	वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपए में)	280.53
जल शक्ति मंत्रालय (जेजेएम)	स्वीकृत गांव (सं.)	1865
	संतृप्त गांव (सं.)	381
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनआरएचएम)	स्वीकृत एवं क्रियाशील एमएमयू (संख्या)	119
	वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपये में)	40.31
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (पोषण 2.0)	स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र (संख्या)	266
	क्रियाशील आंगनवाड़ी केन्द्र (संख्या)	7
	वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपये में)	43.44
शिक्षा मंत्रालय (एसएसए)	स्वीकृत छात्रावास (संख्या)	8
	वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपये में)	18.85
विद्युत मंत्रालय (आरडीएसएस)	स्वीकृत एचएच (संख्या)	25054
	विद्युतीकृत एचएच (संख्या)	24411
	वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपये में)	88.71
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत एचएच (संख्या)	1675
	विद्युतीकृत एचएच (संख्या)	105
	सांकेतिक वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपये में)	8.38
कोयला मंत्रालय (डीओटी-यूएसओएफ)	कवरेज के लिए नियोजित बस्ती (संख्या)	1277
	कवर की गई बस्ती (संख्या)	395
	वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपये में)	94.5
जनजातीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत एमपीसी (संख्या)	125
	कार्य आरंभ कर चुके एमपीसी (संख्या)	119
	वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपये में)	14.97
	स्वीकृत वीडीवीके (संख्या)	73
	वित्तीय स्वीकृति (करोड़ रुपये में)	3.105

*****